BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

M.A NO. 100 OF 24

IN

O.A NO. 328 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SANDEEP KUMAR .PETITIONER

Versus

STATE OF U.P & ORS RESPONDENTS

S.NO	PARTICULARS	PAGES
1.	AFFIDAVIT/REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 5 M/S ROYAL LAYER FARM	1-7
2.	Annexure-1 (colly) Copy of State Government Notification and Poultry Development Policy Directive 2013 along-with letter of Comfort Ref No. 468/UPPCP/LY/2017-18	8-18
3.	Annexure-2 (colly) Copies of report issued by UPPCB and Veterinary Officer-Uchagaon, Poultry Program Officer, District Shamli and Chief Veterinary Officer District Shamli	19-26
4.	Annexure-3 (colly)	27-33

Copy of the order of the Additional Chief Secretary of the Government

5. Annexure-4 (colly)

Copy of the order dated 28.04.2023 passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 2480 of 2023 titled as 'The Poultry Farmers and Breeders Association Vs Union of India & Ors. 34-36

6. Vakalatnama 37

RESPONDENT NO. 5

THROUGH

VIKRANT RANA
VINAY PAL
GAUTAM SINGH
ADVOCATES
D-65, ADD. BUILDING, SUPREME COURT OF INDIA
NEW DELHI
Mobile NO. 8171111119
adv.vikrant_rana@yahoo.com

VINAY PAL
Advocate
Enrl No UP/7606/2014
CH NO. 625, 6th FLOOR, D-BLOCK, ADDITIONAL COMPLEX BUILDING
SUPREME COURT OF INDIA - 110001
M. 8860251052 | EMAIL: vinaypaladvocate04@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

1

M.A NO. 100 OF 24

IN

O.A NO. 328 OF 2024

IN THE MATTER OF:

SANDEEP KUMAR ....PETITIONER

Versus

STATE OF U.P & ORS ......RESPONDENTS

AFFIDAVIT/REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 5 M/S ROYAL LAYER FARM

I Sombir Singh S/o Sh. Harbansh Singh Proprietor M/S Royal Layer Farm, R/o Village Dakhodi District Shamli U.P, do hereby solemnly affirm and sate on oath as under:

1. That Respondent has established the above-said Poultry Farm under the Uttar Pradesh Poultry Development Policy 2013. It is submitted that in order to established the same the Respondent has taken a loan of Rs 1.26 Crore from Punjab National Bank Branch Jalalabad, Shamli district in

NOTARY
NAND RAM
Advocate
New Delhi
Reg. No. 36521/25
Expiry Dt. 28/01/2030
GOVT. OF INDIA

2

the year 2019 on which subsidy is also given from time to time by the State Government. Copy of State Government Notification and Poultry Development Policy Directive 2013 along-with letter of Comfort Ref No. 468/UPPCP/LY/2017-18 are attached as Annexure-1 (colly).

2. It is submitted that length of the farm is 180 feet and width is 34 feet, two sheds with double storey, a platform of 10 feet on each side and a cage of 170 feet. It is submitted that in 2019 the distance between the farm and village Dakhodi Jamalpur was more than 800 meters and distance to village chandenamal was 700 meters, with the passage of time population increases and even today in terms of the report dated 11.09.2024 of Uttar Pradesh Pollution Control Board the air distance between the farm and village Dakhodi Jamalpur is about 600 meters and distance to village chandenamal is about 450 meters. It is submitted that Respondent herein has always complied with the applicable rules and regulations from time to time, the present

NOTARY NAND RAM Advocate New Delhi Reg. No. 36521/25 Expiry Dt. 28/01/2030 GOVT. OF INDIA

3

application has been filed with malifide and ill intentions and same is liable to be dismissed with cost. Copies of report issued by UPPCB and Veterinary Officer-Uchagaon, Poultry Program Officer, District Shamli and Chief Veterinary Officer District Shamli are filed as Annexure-2 (Colly).

3. It is important to note that earlier as policy the capacity of farm was the presently maximum capacity of farm was about 40,000, however, at any point of time the total numbers of birds in farm not exceeded more than 24,000/-. Further, present maximum capacity of farm is about 18000 birds and in present less than Ten Thousands birds are at farm. Therefore, the Respondent herein has never violated any rules and regulation and always obeyed the directions issued UPPCB and other authorities from time to time.

4. That it is important to note that the farm is operating in terms of the modification of each bird space as prescribed under the Gazette Notification CG-GAL-E01032023-243969 dated

NOTARY NAND RAM Advocate New Delhi Reg. No. 36521/25 Expiry Dt. 28/01/2030 GOVT. OF INDIA

4

27.02.2023, and at present at farm minimum space of 550 square centimetres is been complied along-with other rules and regulation. It is also important to note that in any circumstances total number of the birds at farm cannot exceed 18,000 in any manner, therefore, the farm falls under the small category, also it is an agricultural activity and all rules and regulation in respect of the same has been complied with. A copy of the order of the Additional Chief Secretary of the Government is attached as Annexure-3.

5. That it is wrong and denied that a large amount of birds (beet/ dung) has been accumulates under the side cages. It is submitted that the side cages are regularly cleaned from time to time and beet/dung is given to farmers as it has extremely high contents of manure and is beneficial for agriculture purpose.

6. It is also wrong and denied that there is no provision to disposed death birds at the site. It is important to note that since inception as per the regulation solid pits with dimensions 8*4 are

NOTARY
NAND RAM
Advocate
New Delhi
Reg. No. 36521/25
Expiry Dt. 28/01/2030
GOVT. OF INDIA

5

available at site and same is being used for disposing death birds on which salt and calcium carbonate powder is sprinkled due to which there is no bad odour and said process helps to turn the remaining into manure/fertilizer which is given to farmer to promote organic manure over poisonous fertilizers and pesticides. Further, it is important to note that at farm generated waste is being handling in a proper manner and spray of anti-odour chemical is done on regular basis and there is no obnoxious odour and/or any type of pollution which is cause public nuisance. The fact can be corroborated from the reports and letter issued by CVO Shamli & UPPCB from time to time.

7. That as the capacity of birds at farm at present is less than 25,000 birds, therefore, it does not come under the provisions of Air/Water Act and no separate license is required and only consent from UPPCB is required which is Annexed herewith. It is also important to note that Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 2480 of 2023 titled as 'The Poultry Farmers and

NOTARY
NAND RAM
Advocate
New Delhi
Reg. No. 36521/25
Expiry Dt. 28/01/2030
GOVT. OF INDIA

6

Breeders Association Vs Union of India & Ors., vide its order dated 28.04.2023 has stayed the regulation of obtaining the consent to establish and operate under the Water (Prevention and Control of Pollution), Act 1974/the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, from the respective State/Central Board. Copy of the order dated 28.04.2023 passed by the Hon'ble Supreme Court in Civil Appeal No. 2480 of 2023 titled as 'The Poultry Farmers and Breeders Association Vs Union of India & Ors., is attached as Annexure-4.

8. That the Respondent No.5 is complying with all rules and regulation applicable on farm below capacity of 25000 birds and neither there is any obnoxious odour and/or any type of pollution which is causing or/may cause any public nuisance. The present application has been filed by Petitioner due to enmity and personal grudges. Further, the Petitioner herein is habit of filing false complaints and has filed complaints against other as well just to extort money from poor framers like respondent herein, therefore

NOTARY NAND RAM Advocate New Delhi Reg. No. 36521/25 Expiry Dt. 28/01/2030 GOVT. OF INDIA

7

the present application is liable to be dismissed with cost. Further, the responded herein undertake to follow all rules and regulation and any other directions as may be directed by this Hon'ble Commission.

DEPONENT
ROYAL LAYER FARM
VILL.- DUKHEDI JAMALPUR
DISTT- SHAMLI - 247772

Verification:-

Verified at Delhi on 28 APR 2025 that the contents of my aforesaid affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

DEPONENT
ROYAL LAYER FARM
VILL.- DUKHEDI JAMALPUR
DISTT- SHAMLI - 247772

I Identified the deponent who has signed in my presence.

NOTARY
NAND RAM
Advocate
New Delhi
Reg. No. 36521/25
Expiry Dt. 28/01/2030
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
NAND RAM, ADV.
NOTARY PUBLIC, DELHI
GOVT. OF INDIA

Annexure - 1
(COLLY)

8

संख्या- 13मु.स./सैंतीस-2-2013-1(45)/12टी.सी.

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ. प्र., लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ:: दिनांक- 15 मई, 2013

विषय:- प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना को बढ़ावा देने हेतु शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त "उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति-2013" अनुमोदित की गई है। उक्त अनुमोदित कुक्कुट विकास नीति-2013 की प्रति आपको अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

कृपया इस नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 13मु.स.(1)/सैंतीस-2-2013, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि अनुमोदित नीति की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तर प्रदेश शासन।
6- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश शासन।
7- प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
10- प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
13- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ. प्र. पशुधन विकास परिषद्, लखनऊ।
14- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ. प्र., लखनऊ ।
15- पशुधन अनुभाग-1, उ. प्र. शासन ।
16- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
अनु सचिव

9

संख्या 1854 /37-2-2013-1(48)/12 टी.सी.

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक 09 जुलाई 2013

विषयः- पशुपालन के क्षेत्र में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म खोले जाने की पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्र में वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के बदले ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा अनुमन्य कराया जाना।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री फार्मिंग/उद्योगों/इकाईयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना विषयगत योजना क्रियान्वित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पशुपालन विभाग द्वारा संचालित कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म स्थापित करने वाली इकाईयों को निम्नवत् सुविधायें अनुमन्य कराई जायें :-

1- योजनान्तर्गत पूरे प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स एवं ब्रायलर पैरेन्ट पक्षी पालन की सभी नयी इकाईयों जिसमें रूपया पाँच करोड़ या अधिक का स्थायी पूँजी निवेश/अतिरिक्त स्थायी पूँजी निवेश किया गया हो, को प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्रीकर के योग के समतुल्य धनराशि अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 7 वर्ष बाद एकमुश्त रूप में देय होगा।

2- उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन निगम पिकप को नोडल एजेंसी नामित किया जाता है।

3- नोडल एजेंसी (पिकप) को योजना संचालन हेतु 2 प्रतिशत व्यय देय होगा, जो उद्यमी को स्वयं वहन करना होगा।

4- उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निदेशक, पशुपालन विभाग आय-व्ययक में व्यवस्था कराकर उक्त संस्था को प्रतिपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करेंगें।

5- उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात् ही निर्गत की जायेगी।

उपरोक्त शासनादेश औद्योगिक विकास विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव

6915-T/DAH/10/7/13
सं० नि० (कु०)

10/7/13
9-7-2013
10/7/13

10

संख्या (1)/सैंतीस-2-2013 तद्दिनाँक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि पशुपालन विभाग को प्रतिपूर्ति की माँग को संकलित कर निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायेगें ताकि बजट से प्राविधान कराकर धनराशि उपलब्ध करायी जा सके।
9- समस्त अपर निदेशक, मण्डल पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3
12- कर अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
13- गार्ड फाइल

आज्ञा से

(सुनील कुमार)
अनु सचिव

(2.2.1) एकइकाई में 10 हजार पैरेन्ट ब्रायलर पक्षी रखे जायेंगे। उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 45.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी यदि इकाईयों की लागत से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई वास्तविक लिये गये ऋण पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 05 वर्षो (60 माह) में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो 45 लाख से अधिक नहीं होगी।

3. **योजना की प्रभावी तिथि**— योजना में अनुमन्य सुविधायें योजना के शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगीं।

4 कुक्कुट उद्यमियों को निम्न सुविधायें भी देय होंगी।

4.1 प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत किसी भी स्रोत से भूमि योजना में उल्लिखित सीमा तक के क्रय पर प्रदेश के समस्त जनपदों में स्टैम्प डयूटी पर 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी जिसके लिए बैंक गारण्टी और जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा।

4.2 कुक्कट पालन की उपरोक्त इकाईयों को प्रारम्भिक 10 वर्षों तक उपयोग की गयी वास्तविक विद्युत पर विद्युत शुल्क देय नहीं होगा।

4.3 समस्त जनपदों में स्थापित की जाने वाली कुक्कुट इकाईयों को जिनमें स्थायी पूँजी निवेश रू0 5.00 करोड़ या अधिक हो, उनको प्रथम बिक्री की तिथि से 10 वर्ष तक उनके द्वारा जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि, जो कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगा।

4.4 खाद्य प्रसंस्करण नीति में दिये गये प्राविधान के अनुसार में आवश्यक प्लाण्ट, मशीनरी व स्पेयर पार्टस में पूंजी निवेश में रू0 5 करोड़ या अधिक हो के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले कच्चे माल के कय पर पांच वर्ष के लिए मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट उपलब्ध करायी जायेगी।

5 कुक्कुट विकास नीति का सूचना निदेशक के माध्यम से वृहद प्रचार–प्रसार किया जाना।

5.1 कुक्कुट उद्योग में निवेश के लिए प्रभावी रोड शो आयोजित किया जाना।
इस हेतु निम्नलिखित स्थानो का चयन किया गया है:–
(क) हैदराबाद, (ख) चण्डीगढ़ (ग) भोपाल (घ) बेंगलूरू
रोड शो अन्तर्गत स्थल के स्थानीय एवं समीप के कुक्कुट उद्यमियों की बैठक आहूत कर राज्य सरकार की योजना के विषय में बताया जायेगा तथा निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। उद्यमियों द्वारा सुझाये गये उपायों पर भी विचार किया जायेगा।

6. योजना के क्रियान्वयन, सुविधाओं की अनुमन्यता, उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट के परीक्षण एवं संस्तुति, आवेदन प्रपत्र/संस्तुति प्रपत्र एवं अन्य सम्बन्धी प्रपत्र, बैंकों से समन्वय, योजना के अनुश्रवण आदि सम्बन्धी कार्यकारी आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग से निर्गत किये जायेगें।

7. उक्त योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण उत्तर प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड के माध्यम से किया जायेगा।

12

उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013

1. प्रस्तावना

पशुपालन तथा डेयरी को लघु उद्योग के रूप में विकसित करना वर्तमान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। पशुपालन के क्षेत्र में कुक्कुट विकास को प्राथमिकता देना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि वर्तमान समय में प्रदेश में 108 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्रतिवर्ष है, जबकि 473 करोड़ अण्डों का उपभोग प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायियों द्वारा लगभग 1 करोड़ अण्डा प्रति दिन अन्य प्रदेशों से आयात किया जाता है। इसी प्रकार ब्रायलर मांस की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्रदेश में लगभग 10 करोड़ एक दिवसीय ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से प्रतिवर्ष आयात किये जाते हैं।

इण्डियन न्यूट्रीशनल एकेडमी , हैदराबाद की संस्तुति के अनुसार 182 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष उपभोग का मानक स्तर होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 53 अण्डों का उपभोग होता है, जबकि प्रदेश में औसत उपभोग 22 अण्डे प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। इसी प्रकार कुक्कुट मांस हेतु संस्तुति 11 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है , जबकि राष्ट्रीय उपभोग औसत 2.20 किग्रा है। प्रदेश में कुक्कुट मांस उपभोग स्तर मात्र 0.987 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है।

कुक्कट विकास के इस किटिकल गैप को देखते हुए प्रदेश में कुक्कुट विकास के उद्देश्य से अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डें प्रदेश में ही उत्पादित करने तथा अन्य प्रदेशों से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रदेश में ही उत्पादित करने हेतु उद्यमिता विकसित करने के लिए उद्यमियों को सुविधायें उपलब्ध कराने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में अगले 5 वर्षो में 123 लाख पक्षी क्षमता के कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की स्थापना तथा प्रदेश को ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 972 लाख लाख ब्रायलर चूजों के उत्पादन हेतु 6.00 लाख पक्षी क्षमता के ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना हेतु बैंकेबिल योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं, जिनमें कुक्कुट उद्यमियों को वित्तीय संसाधनों में राहत एवं लाभकारी नीतिगत व्यवस्था की गयी है।

2. योजना का नाम–

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना
2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना

2.1 कामर्शियल लेयर्स फार्म की अवस्थापना

प्रथम चरण में अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डे प्रदेश में ही उत्पादित करने के लिए 5 वर्षो में 123 लाख कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की स्थापना की जायेगी।

(2.1.1) एक इकाई में 30 हजार लेयर्स पक्षी रखे जायेंगे। उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 40.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी यदि इकाईयों की लागत से कम ऋण प्राप्त करता है तो प्रति इकाई वास्तविक लिये गये ऋण पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत ब्याज की वास्तविक ऋण पर गणना करते हुए 05 वर्षो (60 माह) में वास्तविक ब्याज की प्रतिपूर्ति की जायेगी, जो 40 लाख से अधिक नहीं होगी।

2.2 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की अवस्थापना

उत्तर प्रदेश में ब्रायलर पालन को लाभकारी एवं सुदृढ़ करते हुए ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजों के समतुल्य प्रदेश में ही इन्हें उत्पन्न करने के उद्देश्य से 6.00 लाख ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की 5 वर्षो में स्थापना की जायेगी।

संख्या–2280 / सैतीस–2–2013–1(45) / 12

प्रेषक,

हृदय शंकर तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

13

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक: 17 जून 2013**

विषयः "उ0प्र0 कुक्कुट विकास नीति–2013" के अन्तर्गत प्रदेश में कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना।

महोदय,

उ0प्र0 में 108 करोड़ अण्डा प्रतिवर्ष उत्पादित होता है जबकि 473 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष उपभोग किये जाते हैं। प्रदेश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के व्यवसायी लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात करते हैं। कुक्कुट मांस उत्पादन हेतु वर्तमान में लगभग 1082 लाख ब्रायलर के चूजे प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रतिवर्ष पाले जा रहे हैं। जिसमें 972 लाख ब्रायलर चूजे अन्य प्रदेशों से आयात होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि 365 करोड़ अण्डे तथा 972 लाख ब्रायलर चूजे प्रतिवर्ष अन्य प्रदेशों से आयात होने के कारण प्रदेश से अन्य प्रदेशों को भारी मुद्रा प्रवाह होता है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कामर्शीयल लेयर पालन तथा ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना हेतु कुक्कूट विकास नीति–2013 निर्गत की गई है। जिसमें उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की छूट प्रदान करने तथा इनवेस्टर फ्रेन्डली वातावरण सृजित करने हेतु नीतिगत व्यवस्था दी गयी है।

योजनान्तर्गत प्रथम चरण में अन्य प्रदेशों से आयात होने वाले लगभग 365 करोड़ अण्डे प्रतिवर्ष के समतुल्य अण्डे प्रदेश में ही उत्पादित करने के लिए 5 वर्षो में 123 लाख कामर्शियल लेयर्स पक्षियों के फार्म की 410 इकाईयों की स्थापना की जायेगी। इस योजना को संचालित करने से 5 वर्षो में लगभग 370 करोड़ अण्डों का उत्पादन प्रदेश में प्रतिवर्ष होने लगेगा, जिसके फलस्वरूप अण्डों को अन्य प्रदेशों से आयात करने की आवश्यकता नही रहेगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में ब्रायलर पालन को लाभकारी एवं सुदृढ़ करते हुए ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आयातित 972 लाख ब्रायलर चूजों के समतुल्य प्रदेश में ही इन्हें उत्पन्न करने के उद्देश्य से 6 लाख ब्रायलर पैरेन्ट पक्षियों के पाले जाने हेतु ब्रायलर पैरेन्ट इकाईयों की 5 वर्षो में 10000 पक्षियों की 60 इकाईयों की स्थापना की जानी है।

उक्त दोनों योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति–2013 (शासनादेश संख्या–13मु0स / सैतीस–2–2013–1(45) / 12टीसी0 दिनांक 15 मई 2013 द्वारा निर्गत) के अन्तर्गत कामर्शियल लेयर्स फार्म एवं ब्रायलर पैरेन्ट फार्म इकाई की स्थापना हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं।

1. योजनायें :–

1.1 कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना

योजना का सारांश (30000 पक्षियों की एक इकाई हेतु)

1.	योजना का नाम	कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना
2.	योजना का वित्त पोषण	राज्य योजना
3.	योजना का कार्यक्षेत्र	समस्त जनपद

4.	पक्षियों की संख या	30000
5.	इकाई पर कुल व्यय	रू0 180.00 लाख (रू0 600/— प्रति पक्षी)
	(i) बैंक ऋण 70% (राष्ट्रीयकृत बैंक)	रू0 126.00 लाख
	(ii) मार्जिन मनी 30%	रू0 54.00 लाख
6.	रोजगार सृजन	60 (500 पक्षियों पर एक रोजगार)
7.	उद्यमी की एक वर्ष की शुद्ध आय	रू0 32.00 लाख औसत
8.	5 वर्षो में 10 प्रतिशत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिप्रर्ति	रू0 40.00 लाख अधिकतम
9.	एक इकाई से 5 वर्षो में कुल अण्डा उत्पादन	90.00 लाख

14

उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त वास्तविक ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 40.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी।

1.2 ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना

योजना का सारांश (10000 पक्षियों की एक इकाई हेतु)

1.	योजना का नाम	ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना
2.	योजना का वित्त पोषण	राज्य योजना
3.	योजना का कार्यक्षेत्र	समस्त जनपद
4.	पक्षियों की संख्या	10000
5.	इकाई पर कुल व्यय	रू0 206.50 लाख
	(i) बैंक ऋण 70% (राष्ट्रीयकृत बैंक)	रू0 145.00 लाख
	(ii) मार्जिन मनी 30%	रू0 61.50 लाख
6.	रोजगार सृजन	1500
7.	उद्यमी की एक वर्ष की शुद्ध आय	रू0 50.00 लाख औसत
8.	5 वर्षो में 10 प्रतिशत बैंक ऋण के ब्याज की प्रतिप्रर्ति	रू0 45.00 लाख अधिकतम
9.	01 इकाई से 5 वर्षो में कुल चूजा उत्पादन	162.00 लाख

उद्यमी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह एक या एक से अधिक इकाई स्थापित कर सकता है तथा उपरोक्त इकाईयों पर लाभार्थी बैंक से प्राप्त वास्तविक ऋण पर पॉच वर्ष (60 माह) में 10 प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति रू0 45.00 लाख अधिकतम प्रति इकाई की दर से लाभार्थी को अनुमन्य होगी।

2. उक्त योजनायें समस्त उत्तर प्रदेश में प्रभावी होगी।
3. उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 कुक्कुट विकास परिषद द्वारा किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उद्यमी को पशुपालन विभाग में आवेदन करना होगा। तदोपरान्त Letter of Comfort जारी होने के उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करने की समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगी।

15

5. उद्यमी की पात्रता

5.1 उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत उद्यमी को आवश्यकतानुसार भूमि की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। यदि उद्यमी द्वारा प्रदेश में उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत भूमि क्रय की जाती है तो कर एवं निबन्धन अनुभाग–7, उ0 प्र0 शासन के विज्ञप्ति संख्या–K.N.7-344/11-2012-312 (98)/2012 लखनऊ दिनांक 01.04.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में उद्यमी को छूट अनुमन्य होगी, परन्तु शर्त यह है कि उद्यमी को कामर्शियल लेयर पक्षियों की प्रति इकाई स्थापना हेतु अधिकतम 3 एकड़ भूमि तथा पैरेन्ट ब्रायलर की प्रति इकाई की स्थापना हेतु अधिकतम 6 एकड़ भूमि हेतु यह छूट अनुमन्य होगी।

5.2 स्टाम्प ड्यूटी में उक्त छूट प्राप्त करने हेतु उद्यमी द्वारा इस आशय का लिखित शपथ पत्र सम्बन्धित ज़िलाधिकारी/मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत करना होगा कि प्रश्नगत भूमि का उपयोग कुक्कुट विकास नीति 2013 में उल्लिखित योजनाओं में ही किया जायेगा तथा 1 वर्ष के अन्दर योजना प्रारम्भ कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गई स्टाम्प ड्यूटी की छूट धनराशि ब्याज सहित उद्यमी को वापस करना होगी।

5.3 यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उद्यमी द्वारा अपनी भूमि पर कुक्कुट विकास नीति के अनुरूप उपरोक्त कोई ईकाई स्थापित की जाती है तो उस पर धारा–143 यू0पी0 जेड.एल.ए. के अन्तर्गत लैण्ड यूज का संशोधन करना आवश्यक नहीं होगा। इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग का शासनादेश संख्या–1192/एक–1–2012–24(2)/2012 दिनांक 24 दिसम्बर 2012 संलग्न है।

6. कार्य प्रारम्भ करने की औपचारिकतायें

6.1 सर्वप्रथम उद्यमी को निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0/उ0प्र0 कुक्कट विकास परिषद् को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र देना होगा (संलग्नक–प्रारूप–A/B)। प्रार्थना पत्र का प्रारूप कार्यालय संयुक्त निदेशक (कुक्कुट), निदेशालय, पशुपालन विभाग, बादशाहबाग, लखनऊ से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा विभागीय वेबसाइट–http://animalhusb.up.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर उद्यमी प्रार्थना पत्र सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के माध्यम से भी निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित करेगा।

6.2 निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 द्वारा नीति अन्तर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु निदेशालय स्तर पर "कुक्कुट निवेश एवं उद्यमिता प्रकोष्ठ" की स्थापना की जायेगी, जो योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करेगा तथा उद्यमियों की कठिनाईयों का निराकरण करेगा। जनपद स्तर पर मुख्य पशु चिकित्साधिकारी/पोल्ट्री प्रोग्राम आफिसर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करायेगें एवं उद्यमियों को कठिनाईयों का निराकरण तत्परता से सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन/प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगें।

6.3 निदेशक, पशुपालनविभाग, उ0प्र0/ उनके द्वारा नामित नोडल अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति उद्यमी द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट का परीक्षण कर स्थल का भी निरीक्षण करेगी तथा विलम्बतः 15 दिनों में उद्यमी को Letter of Comfort जारी करेगी।

6.4 निदेशक पशुपालन विभाग द्वारा जारी Letter of Comfort किसी भी प्रकार से ऋण की गारन्टी नही होगा अपितु उद्यमी को बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता करेगा तथा इसका विधिक उपयोग नही होगा। यह केवल इस बात का सूचक होगा कि प्रथमदृष्टया उद्यमी का चयन उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत कर लिया गया है परन्तु राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण प्राप्त करना उद्यमी का स्वयं का दायित्व होगा तथा इसके लिए उद्यमी द्वारा समस्त औपचारिकतायें स्वयं पूर्ण करनी होगीं।

6.5 ऋण स्वीकृति के पश्चात प्रथम किश्त के अवमुक्त होने की सूचना संलग्न प्रारूप–C पर बैंक द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 को दिया जायेगा।

6.6 समिति द्वारा फार्म की स्थापना की प्रगति के कम से कम दो निरीक्षण किये जायेगें।

6.7 उद्यमी द्वारा 10 प्रतिशत ब्याज दर की प्रतिपूर्ति की मांग प्रत्येक त्रैमास मास में बैंक स्टेटमेन्ट की मूल प्रति मुख्य पशु

16

चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से निदेशक, पशुपालन विभाग/अध्यक्ष, उ0प्र0 पोल्ट्री डेवलपमेन्ट बोर्ड को प्रस्तुत क जायेगी, जिसके परीक्षणोपरान्त भुगतान उद्यमी के एकाउन्ट में किया जायेगा। उद्यमी यदि बैंक को ऋण का समय भुगतान नहीं करता है तो ऐसी दशा में बैंक को अतिरिक्त ब्याज देने की जिम्मेदारी भी लाभार्थी की होगी। साथ ही य लाभार्थी बैंक का कर्ज लौटाने में डिफाल्टर होता है तो ऐसी दशा में उद्यमी को इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो तथा डिफाल्टर होने के पश्चात बैंक को ब्याज की भरपाई करने का दायित्व शासन का नहीं होगा तथा उस समय त दी गई ब्याज प्रतिपूर्ति की धनराशि उद्यमी को वापस करनी होगी।

6.8 पॉच वर्षो में लिये गये ऋण पर 10 प्रतिशत ब्याज दर तक की प्रतिपूर्ति का लाभ पूर्ण हो जाने के बाद उद्यमी व पशुपालन विभाग द्वारा Completion of Subsidy in Interest Amount का प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा।

6.9 कुक्कुट विकास नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित होने वाली पोल्ट्री इकाइयों पर देय अन्य लाभों के सम्बन्ध में अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेंगें।

7. यह आदेश वित्तीय विभाग के अशासकीय संख्या यू.ओ.ई.–2–558/ब–13, दिनांक 06–06–2013 में प्राप्त उनक सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

ह0

(हृदय शंकर तिवारी)
विशेष सचिव

संख्या-2280(1)/ सैंतीस-2-2013, तद्दिनांक 17

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
13. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद्, लखनऊ।
16. निदेशक, सूचना निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. पशुधन अनुभाग-1
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

ह0

(हृदय शंकर तिवारी)
विशेष सचिव

अनुलग्नक सं०-1

18

Ref. No. 468/UPPDP/LY/2017-18

U.P.
Poultry Development
Policy-2013

LETTER OF COMFORT

M/s Royal Layer Farm
Shri Sombeer Singh S/o Shri Harbansh Singh
R/o Gram & Post-Dakhori, Jamalpur,
District Shamli
Mob. No. 9412841157

Dear Sir,

It is to inform you that based on CBO Shamli recommendation letter No. 86, 103/कुक्कुअ विकास नीति 2013/2017-18 to established on unit (30000 Birds) of commercial Layer Farm at Gram and Post Dakhori Jamalpur, District Shamli UP Government have accepted your proposal at after visit of the site and provision made by you at farm and found suitable under U.P. Poultry Development Policy 2013 with following suggestion:

Suggestion : 1. Kindly make Provisions of Pit to dispose deed birds.

2. Please be sure to follow Bio Security measure and suggestions/ direction arounded by U.P.G./G.O.I. time to time.

3. Please ensure to follow the guidelines of CPCB for establishment of Poultry Farm.

4. The unit shall ensure the required land for compliance of Bio Security and other provision.

with warm regards and best wishes

(Dr. CharanSingh Yadav)
Director
Administration and a Development

C.C.TO.

1. Financing Bank Senior Manage P.N.B. Jalalbad Shamli for necessary action please.

2. Chief Veterniary Officer Shamli to ensure required land for compliance of Bio Security CPCB guidelines for Poultry unit.

(Dr. CharanSingh Yadav)
Director
Administration and a Development

Note: Issued under U.P. Got. GO. NO. 2280/सैतीस 2013-(45)/217 June 2013

Annexure-2

19

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H-1755 / सी–3 / वायु-599 / मु0नगर / 24 दिनांक: 11 / 9 / 2024

सेवा में, पंजीकृत

मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म,
ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन,
जनपद–शामली। (9412841157)

यह कि उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली जोकि मुर्गी पालन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है।

यह कि मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत बोर्ड के पत्र दिनांक 12.12.2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जोकि वर्तमान में प्रभावी है। प्रश्नगत पोल्ट्री/लेयर फार्म के विरूद्ध मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0 328/2024, सन्दीप कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य जोकि विचाराधीन है, उक्त वाद में पारित आदेश दिनांक 01.04.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा पॉल्ट्री/लेयर फार्म का निरीक्षण दिनांक 05.07.2024 को किया गया था। संयुक्त समिति के निरीक्षण के समय पॉल्ट्री/लेयर फार्म Lat/long क्रमशः 29.652099, 77.458940 पर स्थापित पाया गया। गूगल मैप के अनुसार ग्राम–चन्देनामल की एयर डिस्टेन्स लगभग 450 मीटर तथा ग्राम–दखौड़ी, जमलापुर की एयर डिस्टेन्स लगभग 600 मीटर है। निरीक्षण के समय पाया गया कि 20,000 क्षमता के दो शैड डबल स्टोरी के स्थापित है। वर्तमान में एक शैड में 6000 पक्षी होना सूचित किया गया है। निरीक्षण के दौरान शैड के कैज के नीचे अधिक मात्रा में पक्षियों का मल जमा हुआ पाया गया, जिस कारण परिसर में बदबू व मक्खियाँ फैली हुई पायी गयी। पॉल्ट्री/लेयर फार्म के मृत पक्षियों को इधर–उधर फेंक दिया जाता है, जिस कारण आसपास के क्षेत्र में दुर्गन्ध की समस्या है। निरीक्षण के समय पॉल्ट्री/लेयर फार्म के परिसर की साफ–सफाई सन्तोषजनक नही पायी गयी। पॉल्ट्री/लेयर फार्म के परिसर में मक्खियों की रोकथाम हेतु कीटनाशक का छिड़काव नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय इकाई द्वारा पॉल्ट्री/लेयर फार्म संचालन के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। निरीक्षण के समय इकाई द्वारा पॉल्ट्री/लेयर फार्म केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के विपरीत स्थापित एवं संचालित पायी गयी। क्षेत्रीय अधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 12.12.2023 की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएवं जनहित एवं जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या एच 03893/सी–3/वायु–592/मु0नगर/2023 दिनांक 12.122023 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि कर निम्नलिखित बन्दी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किये जाते है:–

1. यह मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को निर्देशित किया जाता है कि इस बन्दी आदेश की प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर जीवित पक्षियो को निकालना सुनिश्चित करे।
2. यह कि मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोडी जमालपुर ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली के उत्पादन/संचालन कार्य 07 दिन उपरान्त बन्द कर दे।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को मिलने वाली विजली, पानी तथा अन्य सुविधाओ को 07 दिन उपरान्त बन्द कर दे।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atulesh yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी, शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद शामली की बन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

20

2 पुलिस अधीक्षक, शामली को इस अनुरोध के साथ कि कृपया संबंधित अधीनस्थ को उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दरखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की वन्दी सुनिश्चित कराये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

3 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया द्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दरखोड़ी जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की विद्युत आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करे।

4 अधिशासी अभियन्ता, जल संस्थान, शामली को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दरखोड़ी जमालपुर ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली की जल आपूर्ति को विच्छेदित करना सुनिश्चित करे।

5 मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, शामली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दरखोड़ी, जमालपुर, ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को वन्दी आदेश का अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करे।

6 मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

7 क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर को इस निर्देश के साथ कि कृपया उद्योग मै0 रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम–दरखोड़ी जमालपुर ब्लाक–थानाभवन, जनपद–शामली को उक्त बन्दी आदेश की प्रति प्राप्त कराते हुए वन्दी आदेश सुनिश्चित कराये तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

21

प्रेषक,

पशु चिकित्साधिकारी, ऊँचागांव/
पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफीसर
जनपद शामली।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

विषयः– श्री संदीप कुमार व अन्य ग्रामीण ग्राम दखौडी जमालपुर, वि0ख0–थानाभवन, शामली द्वारा रॉयल लेयर फार्म की शिकायत के सम्बन्ध में जॉच आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1487/वृक्षारोपण/2023–24 दिनांक 02–02–2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री संदीप कुमार व अन्य ग्रामीणों ग्राम दखौडी जमालपुर, वि0ख0–थानाभवन, शामली द्वारा शिकायती पत्र दिनांक 19–01–2024 के माध्यम से रॉयल लेयर फार्म ग्राम दखौडी जमालपुर की शिकायत पर निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या 02 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

महोदय उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 03–02–2024 को शिकायती पोल्ट्री फार्म (रॉयल लेयर फार्म ग्राम दखोडी जमालपुर) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. रॉयल लेयर फार्म ग्राम दखोडी जमालपुर, वि0ख0–थानाभवन के पूर्व दिशा में ग्राम उमरपुर 03 कि0मी0 उत्तर दिशा में ग्राम तिलफशा 03 किमी0, पश्चिम दिशा में ग्राम चन्देनामाल 600 मी0 एवं दक्षिण दिशा में दखोडी जमालपुर 500 मी0 से ज्यादा की दूरी पर स्थित है।
2. प्रदूषण एवं दुर्गन्ध– निरीक्षण के समय मौके पर रॉयल लेयर फार्म में किसी भी प्रकार प्रदूषण एवं दुगन्ध नही पाया गया।
3. रॉयल लेयर फार्म में मक्खी मच्छर नाशक दवाओं का छिडकाव प्रतिदिन किया जाता है।
4. मृत पक्षियों के शव निस्तारण की उचित व्यवस्था की गई है।
5. पोल्टी फार्म पर साफ–सफाई एवं बायोसिक्योटरी के लिए दिशा–निर्देश दिये गये। मौके पर एन्टीवायरल एवं सैनेटाईज का नियमित छिडकाव पाया गया ।
6. पोल्ट्री फार्म के शेड के चारो ओर घास व अन्य सामग्री की साफ–सफाई करने के दिशा–निर्देश दिये गये।
7. जल व वायु प्रदूषण के लिए आवेदन कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलगन है।
8. रॉयल लेयर फार्म की मालिक श्री सोमवीर सिंह द्वारा दिनांक 28–12–2023 को प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को प्रेषित आख्या/स्पष्टीकरण भी संलग्न है।

जॉच निष्कर्ष :– उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत निरीक्षण/परीक्षण के उपरान्त रॉयल लेयर फार्म पर कोई भी प्रदूषण एवं दुर्गन्ध नही पाया गया। अतः इस आधार पर शिकायत निस्तारण योग्य है।

संलग्नकः– यथोपिर।

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 05/02/2024

(डा0 राजीव कुमार राना),
पशु चिकित्साधिकारी–उँचागांव/
पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर
जनपद शामली।

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

22

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मु0नगर, उ0प्र0।

पत्रांक 955 /कु0वि0नी0–22/निरीक्षण/2024–25 दिनांक 26.9.2024

विषयः मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली की निरीक्षण आख्या का प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 26–09–2024 को मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली का निरीक्षण पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर, शामली से कराया गया, पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर द्वारा उक्त लेयर फार्म का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या निम्नवत् उपलब्ध कराई गई है।

निरीक्षण के समय मै0 रॉयल लेयर फार्म, में शेड नम्बर 01 प्रथम तल पर 5485 पक्षी, शेड नम्बर 02 उपरी तल तल की 5180, शेड नम्बर 03 में प्रथम तल 4630, शेड नम्बर 04 के उपरी तल में 4240– कुल 04 शेड में 19535 पक्षी पाले जा रहे है जोकि भारत सरकार के राजपत्र संख्या CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.02.2023 (पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग से0मी0) के अनुरूप है, सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0चन्द्रभानु कश्यप),
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

23

प्रेषक

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
शामली

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मु० नगर उ० प्र०

पत्रांक 1513 / 2024—25 दिनांक 09-1-2025

विषयः मै० रॉयल लेयर फार्म, दखोडी जमालपुर वि०ख० थानाभवन शामली की निरीक्षण आख्या का प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 8.1.25 को मै० रॉयल लेयर फार्म का निरक्षण पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफिसर, शामली से कराया गया, पाल्टी प्रोग्राम आफीसर द्वारा उक्त लेयर फार्म का निरक्षण कर निम्नवत् आख्या उपलब्ध कराई गई है :—

निरीक्षण के समय रॉयल लेयर फार्म मे दो शेड डब्बल स्टोरी है, जिसमें शेड न0 1 मे 5067 पक्षी है तथा उपरी फलोर में 5017 पक्षी तथा शेड न0 2 मे प्रथम तल मे 5006 पक्षी तथा इसके उपर फलोर पर 4210 पक्षी है कुल पक्षी की संख्या चारो शेडो में 19300 (उन्नीस हजार तीन सौ) है, जो भारत सरकार के राजपत्र संख्या CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.09.2023 पक्षियो के प्रति क्रूरता निवारण (अंडे देने वाली मुर्गियों से सम्बंधित है) उसमे स्थान प्रबंध हेतु पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग से0 से कम नहीं होना चाहिए जबकि पूर्व में 2023 से पहले पक्षी के लिए 422 वर्ग से0 स्थान की उपलब्धता थी संदर्भित फार्म मे निर्धारित नये मानको के अनुसार अधिक पिंजरे लगाये जाने की जगह नहीं होने के कारण पक्षी की संख्या घटाई गई है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डा0 चन्द्रभानु कश्यप)

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी

शामली।

24

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 131/G-557/RTI/Shamli/2024
Ref. No.

दिनांक 10.5.2024
Dated

सेवा में,

श्री सोमवीर सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह
ग्राम दखौड़ी जमालपुर, जलालाबाद
जिला–शामली।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2024 जोकि इस कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आप द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से मै0 रॉयल लेयर पॉल्ट्री फार्म, ग्राम दखौडी जमालपुर, शामली, के संबन्ध में दिनांक 09.03.2024 की जांच आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में मै0 रॉयल लेयर पॉल्ट्री फार्म, ग्राम दखौडी जमालपुर, शामली, के संबन्ध में दिनांक 09.03.2024 की जांच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से संबन्धित वांछित सूचनाये उपलब्ध कराते हुए आपका आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जनसूचना अधिकारी

25

आज दिनांक 09/03/24 को संयुक्त टीम उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु०न० एवं राजस्व विभाग में, मैं० रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम- दखोड़ी जमालपुर, ब्लॉक- थानाभवन जनपद- शामली के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण से पूर्व शिकायतकर्ता को दूरभाष पर सम्पर्क किया गया परन्तु शिकायतकर्ता का दूरभाष नं० (9761112886) बन्द पाया गया साथ ही ग्राम- चंदेनामल के वर्तमान ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

निरीक्षण के समय पाया गया कि पोल्ट्री फार्म में 4 शैड स्थापित हैं जिसमें लगभग 24,000 लेयर एवं 8000 चूजे हैं। आस-पास के क्षेत्र में दुर्गन्ध एवं मक्खियाँ उत्पन्न ना हो इसके लिए फिनायल का स्प्रे होता पाया गया, एवं बीट की मात्रा कम पायी गयी।

निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि पोल्ट्री फार्म के पश्चिम दिशा में ग्राम चन्देनामल लगभग 540 मी० एवं दक्षिण दिशा में ग्राम दखोड़ी जमालपुर लगभग 610 मी० की दूरी पर स्थित है।

09/03/24
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मु०न० / शामली

09/03/24
लेखपाल क्षेत्र
कांधला

26

कुक्कुट विकास नीति- 2013 अन्तर्गत स्थापित कामर्शियल लेयर फार्म की
निरीक्षण आख्या

कामर्शियल लेयर फार्म का नाम व पता: Royal Poultry Farm Dakhodi Jamalpur, Shamli

निरीक्षण का दिनांक 10/3/2025

यूनिट क्षमता :- 6000×4 = 24000 Birds

1	इकाई का विवरण / इकाई की स्थापना वर्ष	2017
2	उपलब्ध पक्षियों की संख्या	Shed No 1 1st Floor = 5007 Birds Shed No 2 Upper Floor 4988 Birds Total = 9995 Birds
3	कुक्कुट पालन हेतु अपनाये जाने वाली पद्धति (यदि केज है तो कौन सा केज)	Normal
4	फार्म पर बायोसिक्योरिटी की स्थिति / नियमों का पालन हो रहा है अथवा नहीं	YES, Regulation of Bio Security Rules Strictly
5	पक्षियों के स्वास्थ्य की स्थिति /	Good Condition
6	प्रतिदिन अण्डा उत्पादन	Avg 6896 Eggs/Day (70%) Prodn
7	आहार का क्रय किया जा रहा है या स्वयं उत्पादन कर रहे हैं।	Self production
8	फार्म की साफ-सफाई	Good Cleanines
9	बीट का निस्तारण कैसे किया जा रहा है।	Scientific Method
10	डेड बर्ड के निस्तारण हेतु क्या व्यवस्था है।	Scientific Method
11	फार्म का तापमान मेनटेन करने के क्या-क्या उपाय किये गये है।	Curtains, Fans, Sprinklers etc.
12	पानी की व्यवस्था क्या है।	Submersible

(डा0 राजीव कुमार राना)
पशु चिकित्साधिकारी-ऊँचागांव/
नामित पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर, शामली।

प्रतिलिपि-
1. M/s Royal Poultry Farm, Dakhodi Jamalpur, Shamli
2. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, शामली की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

पशु चिकित्साधिकारी-ऊँचागांव/
नामित पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर, शामली।
Veterinary Officer
Unchagaon, Shamli (U.P.)

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मु0नगर, उ0प्र0।

पत्रांक 955 /कु0वि0नी0–22/निरीक्षण/2024–25 दिनांक 26.9.2024

विषयः मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली की निरीक्षण आख्या का प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 26–09–2024 को मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली का निरीक्षण पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर, शामली से कराया गया, पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर द्वारा उक्त लेयर फार्म का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या निम्नवत् उपलब्ध कराई गई है।

निरीक्षण के समय मै0 रॉयल लेयर फार्म, में शेड नम्बर 01 प्रथम तल पर 5485 पक्षी, शेड नम्बर 02 उपरी तल तल की 5180, शेड नम्बर 03 में प्रथम तल 4630, शेड नम्बर 04 के उपरी तल में 4240– कुल 04 शेड में 19535 पक्षी पाले जा रहे है जोकि भारत सरकार के राजपत्र संख्या CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.02.2023 (पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग से0मी0) के अनुरुप है, सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 चन्द्रभानु कश्यप),
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

संख्या :–2607 /33–2–2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन

27

Annexure-3

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी,**
   उ0प्र0।
2. **समस्त अपर मुख्य अधिकारी,**
   जिला पंचायतें, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2023

विषय :– **उत्तर प्रदेश में पोल्ट्री किसानों की फार्मिंग को जिला पंचायतों द्वारा लाइसेंस, टैक्स व नक्शा के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ई0 वी0पी0 सिंह, अध्यक्ष, कुक्कुट विकास समिति, उ0प्र0 के पत्र सं0–10–23/I–पंचायत –01, दिनांक 25.10.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला पंचायत कार्यालय से पोल्ट्री किसानों को पोल्ट्री फार्म के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति लेने के लिए तथा नक्शा पास करने हेतु नोटिस दी जा रही है।

2– उल्लेखनीय है कि राजस्व अनुभाग–1 के शासनादेश सं0–1192/एक–1–2012–24(2)/2012, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 में विहित व्यवस्थानुसार उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा–142 के अन्तर्गत संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का अपने खाते की कुल भूमि पर एकान्तिक कब्जे का अधिकार प्राप्त है तथा धारा–142(2) के अन्तर्गत असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को भी एकान्तिक कब्जे का अधिकार है तथा ऐसी भूमि का कृषि, उद्यानकरण या पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन, कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी भी है, से सम्बद्ध प्रयोजन के लिए उपयोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

3– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पोल्ट्री किसानों को पोल्ट्री फार्म के लिए लाइसेंस अथवा अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यह व्यवसाय कृषि का अंग है। इनके संचालन के लिए किसी टैक्स, लाइसेंस अथवा नक्शा स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। अतः जिला पंचायते इन प्रयोजनों में लगे कृषकों को इस विषय में कोई नोटिस नहीं देगे और न ही कोई टैक्स वसूलेंगे।

भवदीय,
20.11.23
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. प्रभारी मुख्य अभियन्ता (सिविल), जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ।

आज्ञा से,
(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

Surendra Draft (E)-1587

प्रेषक,

पशु चिकित्साधिकारी, ऊँचागांव/
पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफीसर
जनपद शामली।

28

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

विषयः– श्री संदीप कुमार व अन्य ग्रामीण ग्राम दखौडी जमालपुर, वि0ख0–थानाभवन, शामली द्वारा रॉयल लेयर फार्म की शिकायत के सम्बन्ध में जॉच आख्या का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्रांक 1487/वृक्षारोपण/2023–24 दिनांक 02–02–2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री संदीप कुमार व अन्य ग्रामीणों ग्राम दखौडी जमालपुर, वि0ख0–थानाभवन, शामली द्वारा शिकायती पत्र दिनांक 19–01–2024 के माध्यम से रॉयल लेयर फार्म ग्राम दखौडी जमालपुर की शिकायत पर निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या 02 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

महोदय उक्त सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा दिनांक 03–02–2024 को शिकायती पोल्ट्री फार्म (रॉयल लेयर फार्म ग्राम दखोडी जमालपुर) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. रॉयल लेयर फार्म ग्राम दखोडी जमालपुर, वि0ख0–थानाभवन के पूर्व दिशा में ग्राम उमरपुर 03 कि0मी0 उत्तर दिशा में ग्राम तिलफरा 03 किमी0, पश्चिम दिशा में ग्राम चन्देनामाल 600 मी0 एवं दक्षिण दिशा में दखोडी जमालपुर 500 मी0 से ज्यादा की दूरी पर स्थित है।
2. प्रदूषण एवं दुर्गन्ध– निरीक्षण के समय मौके पर रॉयल लेयर फार्म में किसी भी प्रकार प्रदूषण एवं दुगन्ध नही पाया गया।
3. रॉयल लेयर फार्म में मक्खी मच्छर नाशक दवाओं का छिडकाव प्रतिदिन किया जाता है।
4. मृत पक्षियों के शव निस्तारण की उचित व्यवस्था की गई है।
5. पोल्टी फार्म पर साफ–सफाई एवं बायोसिक्योटरी के लिए दिशा–निर्देश दिये गये। मौके पर एन्टीवायरल एवं सैनेटाईज का नियमित छिडकाव पाया गया ।
6. पोल्ट्री फार्म के शेड के चारो ओर घास व अन्य सामग्री की साफ–सफाई करने के दिशा–निर्देश दिये गये।
7. जल व वायु प्रदूषण के लिए आवेदन कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
8. रॉयल लेयर फार्म की मालिक श्री सोमवीर सिंह द्वारा दिनांक 28–12–2023 को प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड को प्रेषित आख्या/स्पष्टीकरण भी संलग्न है।

जॉच निष्कर्ष :– उपरोक्त बिन्दुओं पर विस्तृत निरीक्षण/परीक्षण के उपरान्त रॉयल लेयर फार्म पर कोई भी प्रदूषण एवं दुर्गन्ध नही पाया गया। अतः इस आधार पर शिकायत निस्तारण योग्य है।

संलग्नकः– यथोपिर।

भवदीय,

5/02/2024

(डा0 राजीव कुमार राना),
पशु चिकित्साधिकारी–ऊँचागांव/
पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर
जनपद शामली।

प्रेषक,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

29

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मु0नगर, उ0प्र0।

पत्रांक 955 /कु0वि0नी0–22/निरीक्षण/2024–25 दिनांक 26.9.2024

विषयः मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली की निरीक्षण आख्या का प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 26–09–2024 को मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखौडी जमालपुर, थानाभवन, शामली का निरीक्षण पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर, शामली से कराया गया, पोल्ट्री प्रोग्राम आफीसर द्वारा उक्त लेयर फार्म का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या निम्नवत् उपलब्ध कराई गई है।

निरीक्षण के समय मै0 रॉयल लेयर फार्म, में शेड नम्बर 01 प्रथम तल पर 5485 पक्षी, शेड नम्बर 02 उपरी तल तल की 5180, शेड नम्बर 03 में प्रथम तल 4630, शेड नम्बर 04 के उपरी तल में 4240– कुल 04 शेड में 19535 पक्षी पाले जा रहे है जोकि भारत सरकार के राजपत्र संख्या CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.02.2023 (पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग से0मी0) के अनुरूप है, सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

(डा0 चन्द्रभानु कश्यप),
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
शामली।

30

प्रेषक

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
शामली

सेवा में

क्षेत्रीय अधिकारी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मु0 नगर उ0 प्र0

पत्रांक 1513 / 2024-25 दिनांक 09-1-2025

विषयः मै0 रॉयल लेयर फार्म, दखोड़ी जमालपुर वि0ख0 थानाभवन शामली की निरीक्षण आख्या का प्रेषण विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक दिनांक 8.1.25 को मै0 रॉयल लेयर फार्म का निरक्षण पोल्ट्री प्रोग्राम ऑफिसर, शामली से कराया गया, पाल्टी प्रोग्राम आफीसर द्वारा उक्त लेयर फार्म का निरक्षण कर निम्नवत् आख्या उपलब्ध कराई गई है –

निरीक्षण के समय रॉयल लेयर फार्म में दो शेड डब्ल स्टोरी है, जिसमें शेड न0 1 में 5067 पक्षी है तथा उपरी फलोर में 5017 पक्षी तथा शेड न0 2 में प्रथम तल में 5006 पक्षी तथा इसके उपर फलोर पर 4210 पक्षी है कुल पक्षी की संख्या चारो शेडो में 19300 (उन्नीस हजार तीन सौ) है, जो भारत सरकार के राजपत्र संख्या CG-GAL-E01032023-243969 दिनांक 27.09.2023 पक्षियो के प्रति कूरता निवारण (अंडे देने वाली मुर्गियों से सम्बंधित है) उसमे स्थान प्रबंध हेतु पक्षी के लिए स्थान 550 वर्ग से0 से कम नहीं होना चाहिए जबकि पूर्व में 2023 से पहले पक्षी के लिए 422 वर्ग से0 स्थान की उपलब्धता थी संदर्भित फार्म में निर्धारित नये मानको के अनुसार अधिक पिंजरे लगाये जाने की जगह नहीं होने के कारण पक्षी की संख्या घटाई गई है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(डा0 चन्द्रभानु कश्यप)
मुख्य पशुचिकित्साधिकारी
शामली।

31

Email : romuzaffarnagar@uppcb.in

दूरभाष : 0131–2436493

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुजफ्फरनगर

U.P. POLLUTION CONTROL BOARD, MUZAFFARNAGAR

6–बी, नई मण्डी, मुजफ्फरनगर–251001 (उ०प्र०)

संदर्भ सं० 31/G-552/RTI/Shamli/2024
Ref. No.

दिनांक 10-5-2024
Dated

सेवा में,

श्री सोमवीर सिंह पुत्र श्री हरवंश सिंह
ग्राम दखौड़ी जमालपुर, जलालाबाद
जिला–शामली।

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.05.2024 जोकि इस कार्यालय में दिनांक 07.05.2024 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आप द्वारा अपने आवेदन पत्र के माध्यम से मै0 रॉयल लेयर पॉल्ट्री फार्म, ग्राम दखौडी जमालपुर, शामली, के संबन्ध में दिनांक 09.03.2024 की जांच आख्या चाही गयी है। तत्क्रम में मै0 रॉयल लेयर पॉल्ट्री फार्म, ग्राम दखौडी जमालपुर, शामली, के संबन्ध में दिनांक 09.03.2024 की जांच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय से संबन्धित वांछित सूचनाये उपलब्ध कराते हुए आपका आवेदन पत्र निस्तारित किया जाता है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जनसूचना अधिकारी

32

आज दिनांक 09/03/24 को संयुक्त टीम उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मु०न० एवं राजस्व विभाग में, मै० रॉयल लेयर पोल्ट्री फार्म, ग्राम - दखोड़ी जमालपुर, ब्लॉक - थानाभवन जनपद - शामली के विरुद्ध प्राप्त शिकायत पर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण से पूर्व शिकायतकर्ता को दूरभाष पर सम्पर्क किया गया परन्तु शिकायतकर्ता का दूरभाष न० (9761112896) बन्द पाया गया साथ ही ग्राम - चंदेनामल के वर्तमान ग्राम प्रधान एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।

निरीक्षण के समय पाया गया कि पोल्ट्री फार्म मे 4 शैड स्थापित है जिसमे लगभग 24,000 लेयर एवं 8000 चूजे है। आस-पास के क्षेत्र मे दुर्गन्ध एवं मक्खियाँ उत्पन्न ना हो इसके लिए कीटनाशक का स्प्रे होता पाया गया, एवं बीट की मात्रा कम पायी गयी।

निरीक्षण के समय यह भी पाया गया कि पोल्ट्री फार्म के पश्चिम दिशा मे ग्राम चन्देनामल लगभग 540 मी० एवं दक्षिण दिशा मे ग्राम दखोड़ी जमालपुर लगभग 610 मी० की दूरी पर स्थित है।

(हस्ताक्षर) 09/03/24
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मु०न० / शामली

(हस्ताक्षर) 09/03/24
लेखपाल क्षेत्र
शामली

Anne-I

33

ग्राम पंचायत चन्दैनामाल

ग्राम प्रधान
श्री दीपक कुमार
मो.-63[illegible]1287

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

[illegible] :
ग्राम चन्दैनामाल
[illegible] [illegible]

पत्रांक

दिनांक 9-3-24

आज दिनांक 9-03-24 को [illegible] [illegible] उत्तर प्रदेश प्रदूषण बोर्ड [illegible] [illegible] एवं राजस्व विभाग अधिकारी द्वारा मेरी उपस्थिति में [illegible] लेयर फार्म जो [illegible] [illegible] के पास गाँव चन्दैनामाल से पूर्व दिशा में उचित दूरी पर स्थित है। जिससे मेरे गाँव में कोई दुर्गन्ध नहीं आती है। और ना ही कोई मक्खी का कोई प्रभाव है अतः हमें इस लेयर फार्म से कोई आपत्ति नहीं है।

(हस्ताक्षर) 9-3-24

प्रधान
दीपक कुमार
ग्राम पंचायत
[illegible] (ग्राम [illegible])

Ann=1

ITEM NO.19 COURT NO.5 SECTION XVII

34

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

Civil Appeal No(s). 2480/2023

Annexure - 4

THE POULTRY FARMERS AND BREEDERS ASSOCIATION Appellant(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

(IA No.69940/2023-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.69938/2023-STAY APPLICATION)

WITH
C.A. No. 2523/2023 (XVII)
(IA No.72401/2023-EXEMPTION FROM FILING C/C OF THE IMPUGNED JUDGMENT and IA No.72399/2023-STAY APPLICATION)

Date : 28-04-2023 This appeal was called on for hearing today.

CORAM : HON'BLE MR. JUSTICE AJAY RASTOGI
HON'BLE MS. JUSTICE BELA M. TRIVEDI

For Appellant(s)
Mr. Mukul Rohatgi, Sr. Adv.
Mr. Vishal Khattar, Adv.
Mr. Shekhar Raj Sharma, Adv.
Ms. Vandana Kapoor, Adv.
Mr. Jinendra Jain, AOR

Mr. Arijit Prasad, Sr. Adv.
Mr. Paras Dutta, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Visen, AOR

For Respondent(s)

UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R

One of the submissions raised for consideration is that as per the revised guidelines issued by the Central Pollution Control Board (CPCB) in August 2021

followed in January 2022, the Poultry Farms handling birds above 25,000 in a single location have to obtain consent to establish and operate under the Water (Prevention and Control of Pollution), Act 1974/the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, from the respective State/Central Board.

35

However, in the absence of any further guidelines being issued by the Government/competent authority and in the absence of any fact finding report from the experts available on record, the NGT, on its own, under its order impugned has substituted the requirement from above 25,000 to above 5,000 and that was circulated by the Government under its guidelines of January, 2022. Counsel submits that in the absence of any expert report being made available, the order passed by the Tribunal in substituting the guidelines of Government of India needs to be relooked by this Court.

Issue notice, returnable in four weeks.

In the meantime, guidelines of January 2022 “8.0 As per the directions of Hon’ble NGT dated 10.12.2021 (O.A. No. 320/2021 : Gauri Maulekhi Vs. Union of India & Ors., poultry farms handling above 5,000 birds at single location shall also obtain consent to establish (CTE) and consent for operate (CTO) under the Water Act, 1974 & Air Act 1981 from

State Pollution Control Board/Pollution Control Committee w.e.f. 01.01.2023." until further orders, shall remain stayed.

36

(SONIA BHASIN)
COURT MASTER(SH)

(VIRENDER SINGH)
BRANCH OFFICER

37

IN THE COURT OF NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

MA NO. 100/2024 IN O.A NO. 328\24

IN THE MATTER OF:

SANDEEP KUMAR **.......PETITIONER**

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS **.......RESPONDENTS**

VAKALATNAMA

Know all to whom these presents shall come that we, respondent No.5 do hereby appoint Mr. Amit Wadhwa, Mr. Vikrant Rana, Dr, Nitin Sharma and Mr. Rajesh Yadav of AW & Associates, Advocates hereinafter called to be our Advocates in the above noted case and authorize them.

To act, appear and plead in the above-noted case in this Court or in any other Court in which the same may be tried or heard and also in the appellate Court including High Court subject to payment of fees separately for each Court by me/ us.

₹2
NCT OF DELHI COURT FEE
DLCT1133091K2415K
11-NOV-2024

To sign, file verify and present pleadings, appeals cross object review, revision, withdrawal, compromise or other petitions or may be deemed necessary or proper for the prosecution of the

To file and take back documents to admit and/or deny the docu

To withdraw or compromise the said case or submit to arbitrati at may arise touching or in any manner relating to the said case.

The deposit, draw and receive money, cheques, cash and grant receipts thereof and to do all other acts and things which may be necessary to be done for the progress and in the course of the prosecution of the said case. To appoint and instruct any other Legal Practitioner, authorizing him to exercise the power and authority hereby conferred upon the Advocate whenever he may think it to do so and to sign the Power of Attorney on our behalf. And I/We the undersigned do hereby agree to ratify and confirm all acts done by the Advocate or his substitute in the matter as my/our own acts, as if done by me/us to all intents and purposes. And I/We undertake that I / we or my /our duly authorized agent would appear in the Court on all hearings and will inform the Advocates for appearance when the case is called. And I /we undersigned do hereby agree not to hold the advocate or his substitute responsible for the result of the said case.

The adjournment costs whenever ordered by the Court shall be of the Advocate which he shall receive and retain himself. And I /we the undersigned do hereby agree that in the event of the whole or part of the fee agreed by me/us to be paid to the Advocate remaining unpaid he shall be entitled to withdraw from the prosecution of the said case until the same is paid up. The fee settled is only for the above case and above Court. I/We hereby agree that once the fee is paid. I /we will not be entitled for the refund of the same in any case whatsoever. If the case lasts for more than three years, the advocate shall be entitled for additional fee equivalent to half of the agreed fee for every addition three years or part thereof..

IN WITNESS WHEREOF, We do hereunto set our hand to these present the contents of which have been understood by us this day of , 2025.

Accepted subject to the terms of fees

Advocate

Vikrant Rana D/2513/08

UP/9310/06

Client

D/9383/2023

Vinay Pal UP/7606/2014

AW & ASSOCIATES
CORPORATE AND COMMERCIAL LAWYERS

Advocates for Respondent No.5
Basement-2, Block B-3, Manu Apartment
Mayur Vihar-I, Delhi-110091
M-9871178106
Officeawassociates@gmail.copm

VINAY PAL
Advocate
Enrl No. UP/7606/2014
CH NO. 625, 6th FLOOR, D-BLOCK, ADDITIONAL COMPLEX BUILDING
SUPREME COURT OF INDIA - 110001
M. 8860251052 | EMAIL : vinaypaladvocate04@gmail.com

welfare not available